

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा (धौलपुर)

दिनांक -

12/03/24

कमांक/कोर्ट/2024/140
तहसीलदार
राजाखेडा

विषय:- व मु0 उनवानी हरिओम बनाम जितेन्द्र वगै0
में लगे स्थगन आदेश को हटवाये जाने बाबत।

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0

उक्त उनवानी प्रकरण में विवादित आराजी ख0नं0 3672, 3730, 4439, 4611/4509 स्थित ग्राम दिघी एवं आराजी ख0 नं0 5087/4288, 4277, 4281 स्थित ग्राम कुम्हरपुरा तथा 3595 स्थित ग्राम जरिहा नं0 2 तहसील राजाखेडा पर इस न्यायालय के आदेश कमांक/कोर्ट/2023/633 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। इस प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैदवी में खारिज किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी पर लगे स्थगन आदेश को हटाये जाने का श्रम करें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पत्र की पालना की जावे।

यह परवाना मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी किया गया ।

Mangana
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

13/3/23

पक्षावली पेश हुई। ना तो वाडी स्वयं
और ना ही उनके अधिवक्ता - पोथालम
में उपस्थित। कई बार आवाज लगाव
गई। वाडी के अधिवक्ता एवं स्वयं
वाडी उपस्थित नहीं आए अतः डावा
वाडी गण अडम घजरी अडम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पक्षावली
केसल शुमार होकर डाखिल इम्तार
हो।...

Mansur

13/03/24

पञ्चवली पेश हुई। मूल राजस्व
काड अडम हाजरी अडम पैरवी में
खारिज किया जा चुका है। अतः
मूल काड की रेशनी में प्रार्थना पत्र
२१२ T.T. खारिज किया जाता है
दिनांक २१.०८.२०२३ को जारी
T.T. के निरस्तीकरण बाबत
परवाना तहसीलदार राजाखेड़ा को
जारी है। पञ्चवली कैसल शुभार
होकर दाखिल इस्तर है। मूल
राजस्व काड के साथ संलग्न रहे।
Manish